सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या

जनपद–बलिया

दिनांक 16 व 17 सितम्बर, 2016

राज्य स्तर से दो सदस्यीय भ्रमण टीम डा0 अमरेश बहादुर सिंह, उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. एवं दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद बलिया की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर, 2016 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

जिला महिला अस्पताल–

- एस.एन.सी.यू. में 11 बच्चे भर्ती थे। एस.एन.सी.यू. की व्यवस्था अच्छी पायी गयी।
- लेबर रुम में ट्रे (7) नहीं थी। प्रोटाकाल पोस्टर प्रदर्शित नहीं थे तथा पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहे था। 7 ट्रे उपलब्ध कराये जाने, प्रोटोकाल पोस्टर लगाने एवं पार्टोग्राफ भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- ओ0टी0 सही थी।
- फ्यूमेगेशन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। रिकार्ड निर्धारित प्रारुप में तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जे.एस.वाई वार्ड में सभी नवजात शिशुओं को बर्थ डोज सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया। वार्ड में बेड तथा स्टैंड वगैरह पुराने एवं गन्दे थे। जिन्हें पेंट कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। लगभग 400 प्रसूताओं का भुगतान लम्बित था जिन्हें पोस्टकार्ड से सूचना प्रेषित किये जाने एवं प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में शीघ्र धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- सी.एम.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ब्लाकों में आशा को पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सेन्टिव का भुगतान नहीं किया गया है जिससे वहां की आशाओं द्वारा लाभार्थियों को इसके लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ब्लाक एकाउन्ट मैनेजर एवं जिला एकाउन्ट प्रबन्धक को तीन दिन की अवधि में आशाओं का इस मद में लम्बित भुगतान सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। डी.डब्लू.एच में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसडा (एफ.आर.यू.)

- लेबर रुम में डिलीवरी किट सेट में सीजर उपलब्ध नहीं थी। लेबर टेबल पर मैकिन्टोस आदि नहीं थी सीधे टेबल पर प्रसूता को लिटाकर प्रसव कराये जा रहे थे। प्रसूता कुछ परम्परागत चीजें यथा सरसों का तेल आदि का इस्तेमाल कर रही थीं जिसके लिए प्रसव कराने वाली सम्बन्धित स्टाफ नर्स द्वारा रोका नहीं

जा रहा था। नवजात शिशु का कॉर्ड (नाल) सेविंग ब्लेड से ही काटा जा रहा था। इस सम्बन्ध में अधीक्षक को अवगत कराया गया एवं सीजर ब्लेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।

- एफ.आर.यू. इकाई होने के बावजूद अप्रैल 2016 से अब तक मात्र 2 सीजर प्रसव कराये गये हैं।
- एन.बी.एस.यू. फंक्शनल नहीं था। फंक्शनल किये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 मे 116 प्रसूताओं का भुगतान अब तक लम्बित है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 1299 में से 566 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों से सम्बन्धित बैठक रजिस्टर, कैशबुक, व बिल वाउचर आदि अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे प्रतीत होता है कि धनराशि का व्यय निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता नहीं दिया जा रहा था। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेत अनुबन्धित वाहन का अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- टी.बी. रोगियों को दवा खिलाये जाने का विवरण शीट पर अद्यतन नहीं था तथा मरीजों को दी जा रही दवा के डिब्बों का रखरखाव भी व्यवस्थित नहीं था। रोगियों को समय पर दवा खिलाये व विवरण को अद्यतन रखे जाने का सुझाव दिया गया।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

CHC Rasada

Supportive Supervision in CHC Rasada

Poor management of medicines giving to DOTs patients CHC Rasada

Delivery Table without sheet in Labor room CHC Rasada

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिलकहर (एल–2)–

- लेबर रुम अत्यन्त छोटा था। स्पेस बढाने हेतु सुझाव दिया गया। लेबर रुम में नवजात शिशु का कॉर्ड (नाल) काटने हेतु सीजर ब्लेड उपलब्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में प्रभार चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सीजर ब्लेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्रसव 2085 में से 95 प्रसूताओं का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 751 में से 123 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की कोई भी बैठक दिनांक 10.06.2015 के बाद से आयोजित नहीं की गयी थी। निर्धारित रजिस्टर में कार्यवाही नहीं लिखी जा रही थी। रोगी कल्याण समिति की सभी उपसमितियों की बैठकों का नियमित आयोजन किये जाने एवं राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर में कार्यवाही लिखे जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। सी.एच.सी. में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।

- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु अनुबन्धित वाहन के अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उसकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- एम.सी.टी.एस. की डाटा फीडिग सन्तोषजनक नहीं थी। प्रभारी चिकित्साधिकारी से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

<u>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनियार (एल–2)–</u>

- लेबर रुम में नवजात शिशु का कॉर्ड (नाल) काटने हेतु सीजर ब्लेड उपलब्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं सीजर ब्लेड उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में लगभग 100 प्रसूताओं का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 554 में से 133 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों के रजिस्टर के अवलोकन से संज्ञान से आया कि विगत दो वर्षों की बैठकों की जो कार्यवाही लिखी गयी थी उनमें किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे सिर्फ कार्यवाही लिखकर धनराशि का व्यय कर लिया गया है। इन बैठकों की कार्यवाही राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर पर नहीं लिखी जा रही थी। रोगी कल्याण समिति की सभी उपसमितियों की बैठकों का नियमित आयोजन किये जाने एवं बैठकों की कार्यवाही पर सम्बन्धित समस्त सदस्यों/पदाधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जाने तथा राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर में कार्यवाही लिखे जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को दिये जा रहे भोजन एव ंनाश्ते के विवरण से सम्बन्धित अभिलेख निर्धारित प्रारुप में तैयार नहीं किये जा रहे थे। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- पी.एच.सी. में खडें 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के वाहन संख्या यू.पी. 41 जी 2870 के अवलोकन से संज्ञान में आया कि वाहन का ए.सी. विगत काफी दिनों से खराब है। दवाओं के बाक्स में वाहन का रिन्च भी रखा गया था सम्बन्धित पायलट को दवा एवं वाहन के टूल्स यंत्र को अलग–अलग रखने एवं ए.सी. की मरम्मत कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। सी.एच.सी. में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।

- सपोर्टिव सुपरविजन हेतु अनुबन्धित वाहन के अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उसकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

<u>न्यू पी.एच.सी. बडागांव (एल–1)</u>

- लेबर रुम अत्यन्त गन्दा था। लेबर रुम में डिलीवरी किट सेट में सीजर उपलब्ध नहीं थी। लेबर टेबल पर मैकिन्टोस आदि नहीं थी सीधे टेबल पर प्रसूता को लिटाकर प्रसव कराये जा रहे थे। निर्धारित दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। प्रसव लोड के सापेक्ष पी.एच.सी. को उपलब्ध होने वाली जे.एस.वाई एडमिन मद की धनराशि का उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया।
- वार्मर फंक्शनल नहीं था।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

Delivery Room in Labor room L1 BagaGanv

Delivery Table without sheet in Labor room L1 BagaGanv

<u>वी.एच.एन.डी. सत्र ग्राम खुटाहा:</u>

- लाभार्थियों को सत्र में बुलाने के लिए आशा कार्यकत्री के पास लाभार्थियों की सूची नहीं थी। सुझाव दिया गया कि सेशन के पहले सूची तैयार की जाय एवं उसी के आधार पर लाभार्थियों को सत्र में बुलाया जाय।
- सत्र में बच्चों का ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी कार्यकत्रियों द्वारा नहीं भरा जा रहा था। जिसे अपडेट करने का सुझाव दिया गया।
- सत्र में आने वाले लाभार्थियों को आंगनबाडी द्वारा पोषाहार तो दिया जा रहा था किन्तु उन्हें इसके डोज के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी जा रही थी। आंगनबाडी को भी पोषाहार के डोज के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी।

<u>एच.बी.एन.सी. का आब्जर्वेशन ग्राम नई बस्ती, बडागांव–</u>

- ग्राम नई बस्ती में आशा कार्यकत्री के साथ घरों का भ्रमण कर लाभार्थियों का फीडबैक लिया गया।

- प्रसूता अनीता देवी ने अवगत कराया कि उनका प्रसव स्वास्थ्य इकाई हुआ है। इसके लिए आशा ने प्रेरित कर तैयारी करायी थी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाला भुगतान प्राप्त हो गया है। प्रसव हेतु स्वास्थ्य इकाई में जाने के लिए उनके द्वारा अपना स्वयं का वाहन प्रयोग किया गया था। आशा को सुझाव दिया गया कि गर्भवती महिलाओं को जननी शिशु सुरक्षा के तहत मिलने वाली मुफ्त परिवहन, भोजन एवं इलाज के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें एवं प्रसूताओं एवं शिशुओं को स्वास्थ्य इकाई पर जाने हेतु 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध में स्वास्थ्य इकाई में जाने हेतु 102 नम्बर पर काल करके परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था का लाभ लिये जाने हेतु सभी लाभार्थियों को जानकारी दी जाये व प्रेरित किया जाय।
- भ्रमण के फीडबैक के सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2016 को जनपद के ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के ए.सी.एम.ओ., जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, जिला एकाउन्ट प्रबन्धक, जिला अरबन कोआर्डिनेटर, ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक एवं ब्लाक एकाउन्ट प्रबन्धक आदि ने प्रतिभाग किया। बैठक में बी.पी.एम. से उनकी एन. एच.एम. के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी के बारे मे प्रश्न किये गये जिससे निकल कर आया कि उन्हें एन.एच.एम. कार्यक्रमों की समुचित जानकारी नहीं थी। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को उनके ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण का आयोजन कर एन.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गाइडलाइन की समुचित जानकारी दिये जाने का सुझाव दिया गया। जनपद में कुछ ब्लाकों में आशा भुगतान के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु ब्लाक एकाउन्ट प्रबन्धकों से जानकारी प्राप्त की गयी एवं इस सम्बन्ध में चर्चा की गयी। भुगतान की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें सुझाव देते हुए तीन दिनों में आशाओं के लम्बित भुगतान को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद भ्रमण के फीडबैक के क्रम में अवगत कराया गया कि जनपद की अधिकांश स्वास्थ्य इकाइयों में लेबर रुम की स्थिति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी है जिनमें सुधार की तत्काल आवश्यकता है। आर.के.एस. की बैठकों का नियमित आयेाजन नहीं किया जा रहा है एवं कार्यवाहियों का लेखन निर्धारित प्रारुप में नही किया जा रहा है। एम.सी.टी.एस. डाटा फीडिंग का कार्य शिथिल है। जे.एस.वाई में लाभार्थियों को समय से भुगतान नहीं हो रहा है। जे.एस.एस.के. में लाभार्थियों को मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है एवं निर्धारित प्रारुप पर अभिलेख भी नहीं तैयार किये जा रहे हैं। उक्त सभी बिन्दुओं पर सुधार हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बनाते हुए सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का सुझाव दिया गया।

(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक